

# सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध)

## अधिनियम, 2005

### धाराओं का क्रम

#### धाराएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. अधिनियम का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।
3. विस्तार और लागू होना ।
4. परिभाषाएं ।
5. कतिपय क्रियाकलापों की पहचान करने, उन्हें अभिहित करने, प्रवर्गीकृत या विनियमित करने की शक्ति ।
6. सलाहकार समितियां नियुक्त करने की शक्ति ।
7. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
8. सामूहिक संहार के आयुधों के संबंध में प्रतिषेध ।
9. गैर-राज्यीय कार्मिक या आतंकवादी से संबंधित प्रतिषेध ।
10. अभिनास के कार्यों के बारे में प्रतिषेध ।
11. निर्यात का प्रतिषेध ।
12. दलाली करने पर प्रतिषेध ।
13. निर्यात, अंतरण, पुनःअंतरण अभिवहन और यानांतरण का विनियमन ।
14. अपराध और शास्तियां ।
15. गैर-राज्यीय कार्मिक या आतंकवादी को सहायता देने के लिए दंड ।
16. अप्राधिकृत निर्यात के लिए दंड ।
17. अधिनियम के अन्य उपबंधों के अतिक्रमण के लिए दंड ।
18. मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज आदि का उपयोग करने के लिए शास्ति ।
19. ऐसे अपराधों, जिनके संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है, के लिए दंड ।
20. कंपनियों द्वारा अपराध ।
21. अपराधों का संज्ञान ।
22. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
23. अन्य विधियों का प्रभाव ।
24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
25. केन्द्रीय सरकार के बारे में विशेष उपबंध ।
26. नियम बनाने की शक्ति ।
27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

# सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध)

## अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 21)

[6 जून, 2005]

सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली के संबंध में  
विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने तथा उससे  
संबंधित या उसके आनुषंगिक  
विषयों के लिए  
अधिनियम

भारत नाभिकीय आयुध राज्य के रूप में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिरक्षा करने के लिए दृढसंकल्प है;

और भारत नाभिकीय आयुधों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों का अंतरण या ऐसे आयुधों या विस्फोटक युक्तियों पर नियंत्रण का अंतरण न करने, और किसी भी रूप में नाभिकीय आयुधों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों का विनिर्माण करने के लिए किसी अन्य देश की सहायता न करने, उसे प्रोत्साहित न करने या उत्प्रेरित न करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

और भारत किसी गैर-राज्यीय कार्मिक या आतंकवादी को सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों को अर्जित करने से निवारित करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

और भारत विश्वव्यापी नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है ;

और भारत, रासायनिक आयुधों के विकास, उत्पादन, अधिसंचयन और उपयोग के प्रतिषेध संबंधी और उनके विनाश संबंधी अभिसमय के और जीवाणवीय (जैव) तथा विषैले आयुधों के विकास, उत्पादन और अधिसंचयन के प्रतिषेध संबंधी और उनके विनाश संबंधी अभिसमय के पक्षकार राज्य के रूप में अपनी बाध्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध है ;

और भारत अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में रसायनों, जीवाणुओं, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण रख रहा है ;

और यह आवश्यक समझा गया है कि सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों के संबंध में सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए एकीकृत विधिक उपायों और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने के लिए उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. अधिनियम का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना—**इस अधिनियम में, अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे।

**3. विस्तार और लागू होना—**(1) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, जिसके अंतर्गत इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी है, है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, उसके उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, जिसके लिए उसे भारत में दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है, दंड का दायी होगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो भारत से बाहर ऐसा कोई अपराध करता है, जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा कार्य भारत में किया गया हो।

(4) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे,—

(क) भारत से बाहर भारत के नागरिक;

(ख) कंपनियां और निगमित निकाय, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित हैं या जिनकी सहयोगी, शाखाएं या समनुषंगी भारत से बाहर हैं;

(ग) कोई पोत, वायुयान या परिवहन के अन्य साधन, जो भारत में या भारत से बाहर कहीं भी वे रजिस्ट्रीकृत हैं;

(घ) विदेशी, जब वे भारत में हों ;

(ङ) भारत सरकार की सेवा में ऐसे व्यक्ति, जो भारत के भीतर या भारत से बाहर हों ।

(5) इसमें उपबंधित किसी क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के लागू होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, किसी वर्णन की सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी के, जिनकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, उन्हें अभिहित किया गया है, प्रवर्गीकृत किया गया है कि वे एक नाभिकीय आयुध देश के रूप में भारत के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसकी विदेश नीति या सामूहिक संहार के आयुधों या उनके परिदान से संबंधित किसी ऐसे द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय संधि, प्रसंविदा, अभिसमय या ठहराव के अधीन, जिनका भारत एक पक्षकार है, उसकी अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं को अग्रसर करने के लिए उपयुक्त या सुसंगत हैं, निर्यात, अंतरण, पुनःअंतरण, अभिवहन और यानांतरण को लागू होंगे ।

**4. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “जैव आयुध”,—

(i) सूक्ष्मजैविक या अन्य जैव कर्मक या विषैले पदार्थ हैं, चाहे उनके उद्गम या उत्पादन की पद्धति, कुछ भी हो, जो ऐसी किस्म के या ऐसी मात्राओं में हैं, जिनका रोग निरोधी, संरक्षी या अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है; और

(ii) ऐसे आयुध, उपस्कर या परिदान की प्रणालियां हैं, जिन्हें विरोधी प्रयोजनों के लिए या शस्त्र विरोध में ऐसे कर्मकों या विषैले पदार्थों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ;

(ख) “अभिवहन में लाए गए” से किसी देश से भू-मार्ग, वायुमार्ग या परिवहन के जलस्थलीय साधनों द्वारा माल का भारत में लाया जाना अभिप्रेत है जहां माल को भारत से उसी वाहन में, जिसमें उसे भारत में लाया जाता है, भारत में उतारे बिना ले जाया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत माल ले जाने वाले किसी विदेशी परिवहन का, भारतीय राज्यक्षेत्र, भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र या भारतीय आकाश क्षेत्र के माध्यम से अहानिकर मार्ग में का कोई वाहन सम्मिलित नहीं है ।

**स्पष्टीकरण 1**—कोई वाहन, विदेशी वाहन है, यदि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

**स्पष्टीकरण 2**—कोई वाहन, “अहानिकर मार्ग” में है यदि वह सुसंगत क्रियाकलाप में नहीं लगा हुआ है और भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में से या आकाश क्षेत्र पर से भारत में रुके बिना या लंगर लगाए बिना गुजरता है;

(ग) “रासायनिक आयुध” से एक साथ या पृथक् रूप से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) विषैले रसायन और उनके पूर्वगामी, उसके सिवाय जहां निम्नलिखित के लिए आशयित हैं,—

(क) औद्योगिक, कृषि, अनुसंधान, चिकित्सा, भैषजिक या अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजन;

(ख) संरक्षी प्रयोजन, अर्थात् वे प्रयोजन जो विषैले रसायनों से संरक्षा और रासायनिक आयुधों से संरक्षा से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं;

(ग) सैन्य प्रयोजन, जो रासायनिक आयुधों के उपयोग से असंबद्ध हैं और जो युद्ध की पद्धतियों के रूप में रसायनों के विषैले गुणधर्मों के उपयोग पर आश्रित नहीं हैं ; या

(घ) विधि का प्रवर्तन, जिसके अंतर्गत घरेलू बलवा नियंत्रण प्रयोजन हैं,

जहां तक उनके प्रकार और मात्राएं, ऐसे प्रयोजनों से संगत हैं;

(ii) युद्ध सामग्री और युक्तियां, जो उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विषैले रसायनों के विषैले गुणधर्मों के माध्यम से मृत्यु या अन्य अपहानि कारित करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन की गई हैं, जो ऐसी युद्ध सामग्री और युक्तियों के लगाए जाने के परिणामस्वरूप निर्मुक्त की जाएंगी; और

(iii) उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट युद्ध सामग्री और युक्तियों के लगाए जाने के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन किया गया कोई उपस्कर;

(घ) “निर्यात” का वही अर्थ होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) में है;

(ङ) “विखंड्य सामग्री” और “रेडियोधर्मी सामग्री” के वही अर्थ होंगे जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) में हैं;

(च) “मद” से इस अधिनियम या सुसंगत क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वर्णन की सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;

(छ) “गैर राज्यीय कार्यकर्ता” से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो किसी देश के विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य नहीं कर रहा है;

(ज) “नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति” से ऐसा कोई नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, जिसका इस विषय में अवधारण अंतिम होगा;

(झ) “लोकाधिकार क्षेत्र” से ऐसा कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर उसके भीतर या उससे सूचना के प्रसार पर कोई निर्बंधन नहीं है; उस सूचना में बौद्धिक संपदा के किन्हीं विधिक अधिकारों की विद्यमानता से ऐसी सूचना को “लोकाधिकार क्षेत्र” से नहीं हटाया जाता है;

(ञ) “सुसंगत क्रियाकलाप” से—

(i) किसी नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आयुध का विकास, उत्पादन, उठाई-धराई, प्रचालन, अनुरक्षण, भंडारण या प्रसार; या

(ii) किसी ऐसे आयुध के परिदान के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रक्षेपणास्त्रों का विकास, उत्पादन, अनुरक्षण, भंडारण या प्रसार,

अभिप्रेत है;

(ट) “पुनः स्थानांतरण” से इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी मद का किसी देश या अस्तित्व से, जिसको इसका भारत से निर्यात किया गया है, पुनः अन्य देश या अस्तित्व को स्थानान्तरण अभिप्रेत है;

(ठ) “प्रौद्योगिकी” से लोकाधिकार क्षेत्र में सूचना से भिन्न कोई सूचना (जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर में सन्निविष्ट सूचना भी है) अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में उपयोग किए जाने के योग्य है,—

(i) किसी माल या सॉफ्टवेयर का विकास, निर्माण या उपयोग;

(ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप का विकास या कार्यान्वयन या किसी प्रकार की किसी सेवा का उपबंध ।

**स्पष्टीकरण**—जब प्रौद्योगिकी को उन उपयोगों के जिनमें इसको प्रयुक्त किया जा सकेगा, प्रतिनिर्देश से (या वह माल जिससे यह संबंधित है) पूर्णतः या भागतः वर्णित किया जाता है, तो इसमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित होंगी जो उपलब्ध कराई जाती हैं या उपयोग की जाती हैं या जो ऐसी प्रौद्योगिकी या माल के विकास, उत्पादन या उपयोग में प्रयोग किए जाने के योग्य है;

(ड) “आतंकवादी” का वह अर्थ होगा जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) में है;

(ढ) “यानांतरण” से माल का किसी वाहन से, जिसमें उन्हें भारत में लाया गया था, हटाना और उस माल को, भारत से बाहर ले जाने के प्रयोजन के लिए उसी या अन्य वाहन में रखा जाना अभिप्रेत है, जहां इन कार्यों को “वहन पत्र के माध्यम से”, “वायुमार्ग पत्र के माध्यम से” या “माल सूची के माध्यम से” किया जाता है ।

**स्पष्टीकरण**—“वहन पत्र के माध्यम से”, “वायुमार्ग पत्र के माध्यम से” या “माल सूची के माध्यम से” भारत से बाहर किसी स्थान से किसी गंतव्य स्थान को, जो भी भारत से बाहर है, भारत में किसी परेषिती के बिना माल के परेषण के लिए क्रमशः कोई वहन पत्र, वायुमार्ग पत्र और माल सूची अभिप्रेत है;

(ण) “विधिविरुद्ध” से, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के बिना अभिप्रेत है और “विधिविरुद्ध रूप से” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(त) “सामूहिक संहार के आयुध” से कोई जैव, रासायनिक या नाभिकीय आयुध अभिप्रेत है ।

**5. कतिपय क्रियाकलापों की पहचान करने, उन्हें अभिहित करने, प्रवर्गीकृत या विनियमित करने की शक्ति**—(1) केंद्रीय सरकार, सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित किसी मद के, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्यात, स्थानांतरण, पुनःस्थानांतरण, यानांतरण या प्रेषण की पहचान कर सकेगी, उसे अभिहित, प्रवर्गीकृत या विनियमित कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित किसी मद को अभिहित या अधिसूचित कर सकेगी ।

**6. सलाहकार समितियां नियुक्त करने की शक्ति**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार, ऐसी सलाहकार समितियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा विहित करे, उनमें व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी।

**7. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों और सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार को, किसी प्राधिकारी को, ऐसी रीति में, जिसे वह समुचित समझे, निदेश देने या ऐसी शक्तियां समनुदेशित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी और किसी अपील प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी और ऐसे प्राधिकारी से संबंधित और अनुज्ञापन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा विहित करे, उपबंध कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन उपबंधित प्राधिकारी और तंत्र उन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में कार्यवाही करते रहेंगे :

परंतु इस बारे में किसी शंका की दशा में कि क्या कोई मामला ऐसे सुसंगत अधिनियमों की परिधि के भीतर या इस अधिनियम के अधीन आता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**8. सामूहिक संहार के आयुधों के संबंध में प्रतिषेध**—(1) कोई व्यक्ति, किसी को, किसी नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति और उसके परिदान के साधनों का विधिविरुद्ध रूप से विनिर्माण, अर्जन, कब्जा, विकास या परिवहन नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, किसी को, किसी नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति का विधिविरुद्ध रूप से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरण या ऐसे किसी आयुध पर नियंत्रण का विधिविरुद्ध रूप से अंतरण, यह जानते हुए कि यह एक नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति है, नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, किसी जैविक या रासायनिक आयुध या उसके परिवहन के साधनों का विधिविरुद्ध रूप से विनिर्माण, अर्जन, कब्जा, विकास या परिवहन नहीं करेगा।

(4) कोई व्यक्ति, किसी को किसी जैविक या रासायनिक आयुध का विधिविरुद्ध रूप से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरण नहीं करेगा।

(5) कोई व्यक्ति, सामूहिक संहार के आयुधों के परिदान के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रक्षेपणास्त्रों का विधिविरुद्ध रूप से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरण नहीं करेगा।

**9. गैर-राज्यीय कार्मिक या आंतकवादी से संबंधित प्रतिषेध**—कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी का गैर-राज्यीय कार्मिक और आंतकवादी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरण नहीं करेगा :

परंतु किसी गैर-राज्यीय कार्मिक को किए गए ऐसे अंतरण में भारत में विधिमान्य प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को उस रूप में किया गया कोई अंतरण सम्मिलित नहीं होगा।

**10. अभिवास के कार्यों के बारे में प्रतिषेध**—कोई व्यक्ति, ऐसी विखंड्य या रेडियोधर्मी सामग्री का अंतरण, अर्जन, कब्जा या परिवहन नहीं करेगा जो, भारत में या विदेश में लोगों या लोगों के वर्ग को अभिवास के प्रयोजन के लिए मृत्यु या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति या नुकसान कारित करने या कारित करने की धमकी देने में उपयोग किए जाने के लिए भारत सरकार को या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए आशयित है।

**11. निर्यात का प्रतिषेध**—कोई व्यक्ति, यह जानते हुए कि कोई सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी किसी जैविक आयुध, रासायनिक आयुध, नाभिकीय आयुध या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्ति के डिजाइन या विनिर्माण में या उनकी प्रक्षेपणास्त्र परिदान प्रणालियों में उपयोग के लिए आशयित है, ऐसी सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी का निर्यात नहीं करेगा।

**12. दलाली करने पर प्रतिषेध**—कोई व्यक्ति, जो भारत में निवासी है, किसी वास्तविक या विवक्षित संविदा के निबंधनों के अधीन किसी प्रतिफल के लिए जानबूझकर किसी संव्यवहार के, जो इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध या विनियमित है, निष्पादन को सुकर नहीं बनाएगा :

परन्तु बिना जानकारी के, व्यक्तियों, माल या प्रौद्योगिकी सेवाओं की रसद का मात्र वहन करना, जिसके अंतर्गत माल का कोई लोक या प्राइवेट वाहक, कुरियर, दूर संचार, डाक सेवा प्रदाता या वित्तीय सेवा प्रदाता भी है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध नहीं होगा।

**13. निर्यात, अंतरण, पुनःअंतरण अभिवहन और यानांतरण का विनियमन**—(1) इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित कोई मद, इस अधिनियम या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय, निर्यात, अन्तरित, पुनःअन्तरित, अभिवहित या यानांतरित नहीं की जाएगी।

(2) किसी मद की प्रौद्योगिकी का कोई अंतरण, जिसका निर्यात, इस अधिनियम या सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित सुसंगत किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध होगा।

(3) जब किसी प्रौद्योगिकी को, इस अधिनियम या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाता है, जो अंतरण नियंत्रणों के अधीन है, तो ऐसी प्रौद्योगिकी का अंतरण उसके अधीन अधिसूचित विस्तार तक निर्बंधित होगा।

**स्पष्टीकरण**—प्रौद्योगिकी का अंतरण, अन्तरण की निम्नलिखित रीतियों में से किसी या दोनों के माध्यम से किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) भारत के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी स्थान से भारत के बाहर किसी व्यक्ति या स्थान को;

(ख) भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी स्थान से ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को, जो भारत से बाहर भी है (किन्तु केवल वहां, जहां अंतरण ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक है या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी है, किया गया है या उसके नियंत्रण के भीतर है)।

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी मद को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चाहे वह किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत आती हो या नहीं, अधिसूचित कर सकेगी; और जब ऐसी मद को, किसी विदेशी अस्तित्व या किसी विदेशी, जो भारत की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर निवासी है या या उसके अकाशी क्षेत्र या अनन्य आर्थिक जोन में प्रचालन, परिदर्शन, अध्ययन करता है या अनुसंधान या कारबार संचालित कर रहा है, प्रदर्शित, विक्रय, प्रदाय या अंतरित किया जाता है, तब यह एक अपराध का गठन करेगा।

**14. अपराध और शास्तियां**—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 8 या धारा 10 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

**15. गैर-राज्यीय कार्मिक या आतंकवादी को सहायता देने के लिए दंड**—(1) कोई व्यक्ति जो किसी गैर-राज्यीय कार्मिक या आतंकवादी को सहायता देने के आशय से इस अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी गैर-राज्यीय कार्मिक या किसी आतंकवादी को सहायता देने के आशय से उपधारा (1) का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने की तैयारी करने का कोई कार्य करेगा, उस उपबंध का उल्लंघन किया गया समझा जाएगा और उपधारा (1) के उपबंध उस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उसमें “आजीवन कारावास” के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह “दस वर्ष के कारावास” के प्रतिनिर्देश है।

(3) इस धारा के अधीन दंड का अवधारण करते समय, न्यायालय यह विचार में रखेगा कि क्या अभियुक्त को ऐसे अंतरिती के कोई गैर-राज्यीय कार्मिक होने या न होने के बारे में जानकारी थी या नहीं।

**16. अप्राधिकृत निर्यात के लिए दंड**—(1) कोई व्यक्ति, जो जानते हुए, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम का नहीं होगा और जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन उसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, तब वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए ऐसी किसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

**17. अधिनियम के अन्य उपबंधों के अतिक्रमण के लिए दंड**—(1) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन उसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए ऐसी किसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

**18. मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज आदि का उपयोग करने के लिए शास्ति**—जहां कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी को पेश की गई किसी घोषणा, कथन या दस्तावेज पर जानबूझकर या यह विश्वास करने का कारण होते हुए कि ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज कूटरचित है या उसमें फरेफार किया गया है या उसकी कोई सारवान् विशिष्ट मिथ्या है और इस अधिनियम या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिसूचित मदों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जो सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित हैं, हस्ताक्षर करेगा या उपयोग करेगा या हस्ताक्षरित कराएगा या उसका उपयोग कराएगा, तो वह ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा या उन सामग्रियों, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाओं के मूल्य के पांच गुना तक का होगा, इसमें से जो भी अधिक हो, कम का नहीं हो, दंडनीय होगा।

**19. ऐसे अपराधों, जिनके संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है, के लिए दंड**—जो कोई इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करेगा जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबंधित नहीं किया गया है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

**20. कंपनियों द्वारा अपराध**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म और व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**21. अपराधों का संज्ञान**—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन, किसी अपराध का, केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, संज्ञान न करेगा।

**22. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**—इस अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई या कार्यवाही, किसी सिविल न्यायालय में, किसी वाद या आवेदन में या अपील या पुनरीक्षण के रूप में प्रथमगत नहीं की जाएगी, और किसी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा, उन उपबंधों के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा।

**23. अन्य विधियों का प्रभाव**—(1) इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या किसी अन्य लिखत, जो इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली है, में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(2) जहां कोई कार्य या लोप, इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन भी दंडनीय किसी अपराध का गठन करता है, वहां ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस अधिनियम के अधीन जो अधिक दंड अधिरोपित करता हो, दंडित किए जाने का भागी होगा।

**24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण जिसको इस अधिनियम के अनुसरण में शक्तियां प्रदत्त की गई हों, के विरुद्ध न होगी।

**25. केन्द्रीय सरकार के बारे में विशेष उपबंध**—इस अधिनियम की कोई भी बात, भारत की सुरक्षा या रक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कृत्यों के निर्वहन में उसके क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं करेगी।

**26. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत क्रियाकलाप से संबंधित किसी मद को विनियमित करने की रीति;
- (ख) धारा 6 के अधीन सलाहकार समितियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य;
- (ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन और अपील प्राधिकारी की नियुक्ति और अनुज्ञप्ति देने की रीति; और

(घ) कोई अन्य बात जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—**(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।